

(अनुलग्नक-2)

(जिला-सारण।)

प्रखंड नियोजन इकाई, बनियापुर, सारण।।

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-1378 दिनांक-17.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक-33 दिनांक-18.01.2022 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध मध्य विद्यालय 30 MO वि० मानोपाली में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधित होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

| क्र० सं० | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम | स्थायी पता | मेघा सूची क्रमांक | आरक्षण कोटि | जन्म तिथि | पदस्थापित विद्यालय का नाम |
|----------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------|------------|---------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01 | चन्द्रभूषण तिवारी | नागेन्द्र तिवारी | ग्राम-मरहोपुर, एकमा सारण। | 123 | UR | 31.12.1990 | म०वि० सोहई |
| 02 | आनन्द कुमार पटेल | राजेश कुमार पटेल | ग्राम-कोइराजपुर पो०-हरहुआ थाना-बड़ा गाँव पिण्डरा वाराणसी | 12 | UR | 29.06.1992 | उ०म०वि०मानोपाली |
| 03 | विनोद कुमार | जीतलाल | चौर जीनपुर उत्तर प्रदेश | 14 | UR | 15.09.1984 | उ०म०वि० डुगुरपट्टी |
| 04 | कुमारी अंशिका | मनीष कुमार सिंह | मुस्सेपुर, पो०-गोपालपुर लकड़ी नवीगंज सिवान | 136 | UR(F) | 17.07.1993 | रा०म०वि० बनियापुर, बालक |
| 05 | अमित कुमार गिरि | राम नारायण गिरि | ग्राम-मुवारकपुर, पो०+थाना-मढ़ौरा, सारण। | 62 | BC | 05.02.1987 | उ०म०वि० बंगाली भिट्टी |

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सय-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का स्त्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

T. K. ...
सचिव,

(प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, बनियापुर, सारण।)

ज्ञापांक 153 दिनांक 28.05.22

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।